

Non Judicial



Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government



Date : 23/12/2019

Certificate No. JCW2019L68



GRN No. 61215872



Stamp Duty Paid : ₹ 72600

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Rajbir Singh

H.No/Floor : 3122

Sector/Ward : D

LandMark : X

City/Village : Vasant kunj

District : Delhi

State : Delhi

Phone: 88*****78

Buyer / Second Party Detail



Name : P R J warehousing pvt ltd

H.No/Floor : 31p

Sector/Ward : 38

LandMark : X

City/Village : Gurugram

District : Gurugram

State : Haryana

Phone : 88*****78

Purpose : Sale Deed

2475

The authenticity of this document can be verified by scanning this QRCode Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

किस्म वसीका

मालयती

स्टाम्प

रकबा

स्टाम्प सर्टीफिकेट नं

दिनांक

गांव

तहसील

किस्म आराजी



बैयनामा / बिक्रीपत्र

₹ 13,00,000 / -रुपये

₹ 72600 / -रुपये

0 कनाल 15.99 मरलें (16 मरला)

JCW2019L68 GRN No. 61215872

23.12.2019

याकुबपुर

तहसील बादली जिला झज्जर

कृषि भूमि

यह बैयनामा आज दिनांक 26 दिसम्बर 2019 तहसील बादली जिला झज्जर हरियाणा मे तहरीर किया गया।

Handwritten signature

राजबीर पुत्र किशनचन्द पुत्र मोलड (आधार कार्ड न02109 3275 9262) निवासी निवासी याकुबपुर तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा जिन्हें विक्रेता कहा गया है जिसमें विक्रेता के उत्तराधिकारी, वारिस, व तहरीरकर्ता नामित व्यक्ति आदि सम्मिलित है।



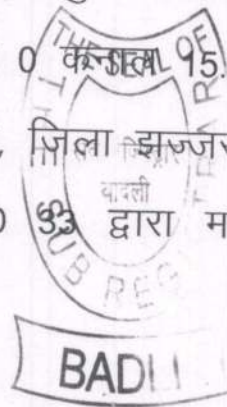
.....प्रथम पक्ष / विक्रेता

M/s P.R.J. Warehousing Pvt. Ltd. a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 with its registered office at Plot no. 31P, Sector 38 Gurugram, Haryana-122003 through its Authorized Signatory vide Board Resolution dated 20-12-2019 Ramdhan Yadav S/o Jagmal Singh R/o WZ-246, Gali no. 7 Sadh Nagar Palam Colony, New Delhi-10045 (Company PAN No. AAKCP1188M) जिन्हे क्रेता कहा गया है जिसमें क्रेता के उत्तराधिकारी प्रबन्धक, तहरीरकर्ता या नामित व्यक्ति शामिल है।

.....द्वितीय पक्ष / क्रेता
संयुक्त रूप से उपरोक्त पक्षकार विक्रेता व क्रेता कहलाये जाते हैं।

1. जो कि हम आराजी जरई वाका मौजा याकुबपुर तहसील बादली, जिला झज्जर खेवट नं0 432मिन/364 खाता न0 448मिन मुस्तील नं0 100 किला नं0 25/2/2(1-13) मुस्तील नं0 101 किला नं0 21/1(0-8),

मुस्तील नं० 103 किला नं० 1(8-0), 2(9-4), 9(8-8), 10(8-0), 11(8-0), 12(8-6), 19(7-16), 20(8-0), 21(8-0), 22(6-12), मुस्तील नं० 104 किला नं० 2(7-19), 3(8-0), 4(8-0), 5(8-0), 6(8-0), 7(8-0), 8(8-0), 9(7-8), 12(6-16), 13(7-19), 14(8-0), 15(8-0), 16(8-0), 17/1(3-12), 17/2(4-8), 18/1(4-4), 18/2(0-16), 18/3(0-16), 18/4(0-16), 18/5(0-16), 24/1(2-0), 24/2(1-0), 24/3(1-0), 24/4(4-0), 25(8-0), मुस्तील नं० 117 किला नं० 4/1(2-0), 4/2(6-0), 5/1(2-0), 5/2(6-0), 6(8-0), 15(8-0), मुस्तील नं० 118 किला नं० 1(8-0), 2(5-8), 9(4-0), 10(8-0), 11(9-12), 20(6-16), 21(2-12), मुस्तील नं० 130 किला नं० 5/1(कमज मरला), 5/2(0-2), कुल किते 52 रकबा 292 कनाल 7 मरला का 2/731 भाग बकदर 0 कनाल 15.99 मरला (16 मरलें) वाका मौजा याकुबपुर तहसील बादली, जिला झरजर का बरुवे जमाबन्दी साल 2015-2016 वा फर्द बदर नं० 33 द्वारा मालिक व काबिज हैं। जिसे "विक्रय भूमी" कहा गया है।



2. यह कि विक्रेता उक्त विक्रय भूमी का पूर्ण रूप से मालिक व काबिज हैं। बकौल विक्रेता उक्त विक्रय भूमि किसी भी प्रकार के भार, ऋण, बंधक, कानूनी दावा, कुर्की, नाबालिग अधिकार, बंटवारा, न्यायालय में वाद विवाद, स्टे आदेश डिक्री, सीलिंग, सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, तृतीय पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार के दावे/अधिकार, दान, कोई किरायेदारी, इकरारनामा, कोई हस्तान्तरण व्यवस्था या किसी अन्य कानूनी त्रुटि आदि से बाधित नहीं है।

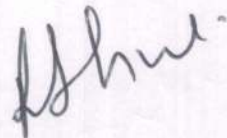
[Handwritten signature]

3. यह कि उक्त विक्रय भूमी आज तक हर प्रकार के ऋण परिवर्तन आदि के भार से सुरक्षित है। आज तक कहीं पर पट्टा - रहन - बैय - हिब्बा - तबादला या अन्य दीगर तरीका से मुन्तकिल ना किया हुआ है।
4. यह कि विक्रेता उक्त विक्रय भूमि के पूर्ण भाग या हिस्से को किसी भी व्यक्ति के साथ विक्रय, हस्तान्तरण आदि प्रपत्र तहरीर करने के लिए बिना किसी तृतीय पक्ष अथवा विक्रेतागण के किसी सदस्य वारिस की आपत्ति के बिना पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं।
5. यह कि अपनी व अपने परिवार की सदस्य व पूर्ण आर्थिक आवश्यकता व जरूरत के अनुसार अब विक्रेता ने अपनी व खुशी से बिना किसी दबाव व बहकावे के अपने आत्मज्ञान तथा प्रसन्नचित से उपरोक्त "विक्रय भूमी" रकबा 0 कनाल 15.99 मरला कुल हक हकूक मय हक थली व आकाशी सर्व अधिकार सहित बाएवज मुबलिग 13,00,000 /- रुपये केवल (तेरह लाख रुपये केवल) जिसके आधे मुबलिग 6,50,000 /- (छ लाख पचास हजाररुपये केवल) होते हैं बदस्त **M/s P.R.J. Warehousing Pvt. Ltd.** (द्वितीय पक्ष/क्रेता) को बेच व फरोक्त कर दिया है और कुल जर्रे कीमत निम्न प्रकार से प्राप्त कर चुका है।

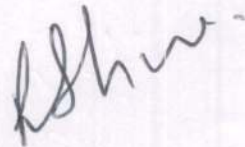
क्रमांक न0	चैक न0	रकम	दिनांक	बैंक	नाम
1	645013	13,00,000 /-	26.12.2019	सिंडिकेट बैंक गुरुग्राम	राजबीर

[Handwritten Signature]

6. यह कि अब क्रेता की तरफ विक्रय कीमत में से कुछ भी लेना बाकी नहीं रहा है । "विक्रय भूमि" की कुल रकम मुबलिग 13,00,000/-रुपये केवल (तेरह लाख रुपये केवल) प्राप्त कर ली गई है।
7. यह कि विक्रेता ने उक्त "विक्रय भूमि" को पूर्णरूप से कब्जे के आधार पर, सभी अधिकारों सहित उसमें लगे पेड व निर्माण आदि, जो उसमें विद्यमान हो, भूमि को सभी अधिकारों सहित उसका भौतिक कब्जा क्रेता का करा दिया है तथा क्रेता को पूर्ण रूप से बायान जैसा मालिक व काबिज बना दिया है । अगर भविष्य में भी "विक्रय भूमि" पर मालिकाना हक कब्जे को लेकर कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो विक्रेता को उसके वारसान पूर्णरूप से जिम्मेवार रहेंगे।
8. यह कि विक्रेता, क्रेता को यह आश्वासन देता है कि, उक्त "विक्रय भूमि" पर कोई भी भार, लोन/ऋण या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी बकाया शेष नहीं है। यह कि विक्रेता यह फिर से आश्वासन देता है कि इस बैयनामें के बाद भी उक्त भूमि पर कोई टैक्स, भार या राजस्व बकाया आदि पाया जाता है तो उसका उत्तरदायी विक्रेता स्वयं होगा।
9. यह कि विक्रेता यह आश्वासन देता है कि उक्त "विक्रय भूमि" को अधिग्रहीत करने का सरकार द्वारा कोई नोटिस न दिया गया है और न ही प्राप्त हुआ है।

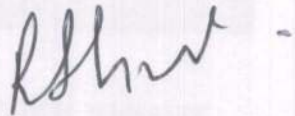


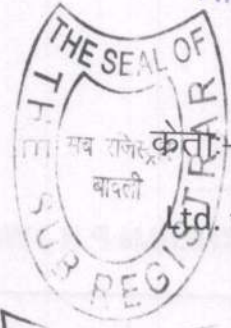
10. यह कि विक्रेता उक्त बैयनामा के तहरीर होने के बाद उक्त भूमि को क्रेता के नाम पर राजस्व अभिलेख में दाखिल खारिज दर्ज कराने में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति देने, सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे मुखत्यानामा आदि निष्पादित करने आदि जिससे दाखिल खारिज की कार्यवाही क्रेता के हक में कराने या उसके हस्तान्तरण/नामित व्यक्तियों के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज हो क्रेता को बिना आपत्ति सहयोग करेगा।
11. यह कि अब "विक्रय भूमी" से विक्रेता का एवम् विक्रेता के वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता किसी प्रकार का ~~ना रहा है~~ ^{नहीं है} और ना ही भविष्य में रहेगा। क्रेता इस "विक्रय भूमी" को स्वतन्त्र रूप से किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकता है।
12. यह कि उक्त "विक्रय भूमी" में विक्रेता का कोई हकदार किसी प्रकार का झगडा करेगा या उक्त "विक्रय भूमी" किसी नुक्स कानुनी या वाक्याती की वजह से कब्जा या मालकाना हक खरीदार से निकल जावेगी तो उस सुरत में पैरवी जवाब देही व हर्जा खर्चा चापसी कुल जर्रे कीमत सब बाजिम्मे विक्रेता होगी।
13. कुल खर्चा बैयनामा मय स्टाम्पएवम् रजिस्ट्रेशन फीस क्रेता ने अपने पास से लगाया है। विक्रेता क्रेता को आष्वासन देता है कि ईन्तकाल बैय बहक दर्ज कराकर मन्जूर करा दूंगा।



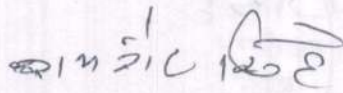
14. यह कि यह बैयनामा विक्रेता को पढकर सुनायाएवम् समझा दिया गया है और अब विक्रेता ने उक्त इकरारनामे के तथ्यों को समझ कर इसका निष्पादन निम्न गवाहों के समक्ष बिना किसी जोर दबाव व भय के कर दिया है।

15. अतः बैयनामा लिख दिया है कि सनद रहे समय पर काम आवे । तहरीर तारीख 26 दिसम्बर सन 2019.

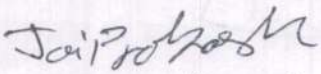

विक्रेता:-राजबीर पुत्र किशनचन्द

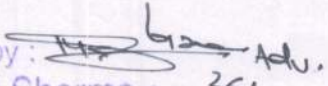

P.R.J Warehousing Pvt. Ltd.
Director
M/s R.R.J. Warehousing Pvt. Ltd. through authorized signatory

गवाह:-



1. शमशेर नम्बरदार याकुबपुर


2. जयप्रकाश पुत्र धर्मचन्द निवासी याकुबपुर

Drafted by :  Adv.
Mahesh Sharma Adv.
Distt. Courts, JHAJJAR

26/12/2019